न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

137

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 921–दो/2007 – विरूद्व आदेश दिनांक 21–5–2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 326/2001–02 अपील

हिरौआ (मृतक वारिस) पुत्री रामकृपाल
अ– भैयालाल पुत्र कुंजविहारी
ब– राजमणि पुत्र गयाप्रसाद
स– विजयकुमार
द– अरूणकुमार दोनों पुत्रगण कोशलप्रसाद
इ– श्रीमती संतोरिया पत्नि स्व. कौशलप्रसाद
ग्राम पिडरिया सेंगर तहसील मउगंज जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्व

1– अयोध्याप्रसाद (मृतक वारिस) पुत्र सरयूप्रसाद
अ– श्रीमती इन्द्रावती पत्नि स्व.अयोध्याप्रसाद
ब– रामनिवास 3– अंजनीप्रसाद पुत्रगण स्व.अयोध्याप्रसाद
स– श्रीमती गीता पत्नि स्व. रामकैलाश पुत्री स्व. अयोध्याप्रसाद
द– शिवेन्द्र 6– अमित पुत्रगण स्व.रामकैलाश
इ– सुश्री कबिता पुत्री स्व.रामकैलाश
सभी ग्राम पिडरिया सेंगर तहसील मउगंज जिला रीवा
2– सुश्री शॉतिदेवी पुत्री राममनोहर
निवासी खटकरी तहसील मउगंज जिला रीवा
3– रामसुमन पुत्र केम्लाप्रसाद ग्राम पिडरिया
तहसील मउगंज जिला रीवा
4– म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी.एस.चाहौन)

आ दे श

(आज दिनांक 16–08–2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 326/2001–02

अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है माननीय अतिरिक्त व्यवहार न्याया0 मउगंज जिला रीवा के व्यवहार वाद कमांक 430 में हुये आदेश दिनांक 23–9–83 पर से ग्राम की नामानतरण पंजी के सरल कमांक 15 पर आदेश दिनांक 24–6–2000 से सरपंच ग्राम पंचायत ने कि ग्राम लॉर खुर्द की कुल किता 6 कुल रकबा 4–89 पर नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण कमांक 229 अ–6/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–9–2001 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 326/2001–02 अपील में पारित आदेश दि. 21–5–2007 से अनुविभागीय अधिकारी मउगंज एंव ग्राम पंचायत के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय में पक्षकारों की सुनवाई करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 15 पर प्रविष्टि दिनांक 2–3–2000 को आदेश दिनॉक 24–6–2000 से प्रमाणित किया है। हलका पटवारी व्दारा नामांत्रण पंजी के कालम नंबर 6 में इस प्रकार प्रविष्टि की है –

जरिए फैसला अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश रीवा प्र0क0 आवेदन पत्र क. 430 नि. दि. 23–9–83 प्रकरण कमांक 85 ए 83 निर्णय दि. 3– –92

हलका पटवारी की इस प्रविष्टि को सरपंच ग्राम पंचायत ने आदेश दिनांक 24–6–2000 से रद्द लिखकर प्रमाणित किया है –

इस्तहार जारी आपत्ति के अभाव में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। पटवारी हलका लॉर रिकार्ड दुरूस्त करे।

म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत को अविवादित नामान्तरण प्रमाणित करने की शक्तियॉ दी गई है परन्तु उन्हें यह शक्तियॉ नहीं है कि वह पटवारी हलका को रिकार्ड दुरूस्त की भी आज्ञा प्रदान करे। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 326/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–2007 में विवेचना की है कि नामान्तरण की प्रविष्टि करने के उपरांत हलका पटवारी ने हितबद्व पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी नहीं किये एंव इस्तहार का सम्यक प्रकाशन भी नहीं कराया है । माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में नामान्तरण किया जाना है यह आवश्यक है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ तहसीलदार को आवेदन देना होगा। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 21–5–2007 से हितबद्व पक्षकारों को सुनकर माननीय व्यवहार न्यायालय की आज्ञा के अनुरूप नामान्तरण कार्यवाही करने के उद्वेश्य से प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया है तहसील न्यायालय में आवेदक एंव अनावेदक को पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 326/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–2007 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 326/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–5–2007 उचित होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
म.प्र.ग्वालियर